न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 238/2019
GCMS NO. : 2019/00301

–: वादी :–

1. श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण मण्डल ए जरिये अध्यक्ष नेमापुरी पुत्र शंकरपुरी गोस्वामी निवासी बिरोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1.जोगापुरी पुत्र नेमापुरी फौत के कायमु मुकाम
1/1. अशोकपुरी पुत्र जोगापुरी
1/2. कानापुरी पुत्र जोगापुरी
1/3. सरोज पुत्री जोगापुरी
1/4. छोटीदेवी पुत्री जोगापुरी
2.पप्पुपुरी पुत्र भंवरपुरी
3.गणपतपुरी पुत्र भंवरपुरी
4.पंचमपुरी पुत्र भंवरपुरी
5.मुन्नी पुत्री भंवरपुरी
6.सुरमा पुत्री भंवरपुरी
7.लीला पुत्री भंवरपुरी
8.गुड़ीया पुत्री भंवरपुरी
9.अन्नू पुत्री भंवरपुरी
10.भीकापुरी पुत्र शंकरपुरी
11.कैलाशपुरी पुत्र पुखापुरी
12.मदनपुरी पुत्र पुखापुरी
13.उगमपुरी पुत्र पुखापुरी
14.चांदुपुरी पुत्र सोनपुरी
15.टीमापुरी पुत्र सोनुपुरी फौत के का0मु0
15/1.बाबुपुरी पुत्र टीमापुरी
15/2.सम्पतपुरी पुत्र टीमापुरी
16.राजेन्द पुरी पुत्र टीमापुरी जाति[illegible] जैतारण तहसील जैत[illegible] जि[illegible] पाली राज0
17. तेज[illegible] पुत्र [illegible] जाट निवासी झुझण्डा [illegible]सील जैतारण जिला पाली राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

18. दुदाराम पुत्र नाथूराम जाति
निवासी लौटोती तहसील
जैतारण जिला पाली राज०।

19. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम जाति
कुम्हार निवासी जैतारण
तहसील जैतारण, जिला पाली
राज०।

20. तहसीलदार जैतारण, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली राज०।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:–23.12.2019

उपस्थितः–

1- श्री रामस्वरूप चौधरी, वादी।
2- श्री देवाराम कटारिया, श्री किशोर कुमावत, श्री समीर खान, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 27/02/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रतनपुरा, पटवार हल्का जैतारण, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण जिला– पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 39–02 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है तथा वादी व प्रतिवादीगण सभी माफिक अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है, जिसे बादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती है, जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजी पक्षकारान अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है, परन्तु कानूनन बंटवाड़ा नही हो रखा है। वादी अपने हक हिस्से की आराजी में से वादी 04 बिस्वा भूमि पर समाज के लिए छात्रावास बनाना चाहते है। जिसमें बिना बंटवाड़ा करवाये संपरिर्वतन में समस्या आ रही है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड मे सामलाती होने एवं कानूनन बाई मिटस् एण्डस् के बंटवाड़ा नहीं होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योकि जब तक उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक वादी अपनी आराजी में इस तरह के काम नहीं कर सकता है एवं ना ही अपने समाज के लिए छात्रावास ही बना सकता है इसलिए वादी का यह वाद बंटवाड़े का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नहीं होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादी आराजी में दखल व दस्तन्दाजी करते है तथा अपनी इच्छानुसार वादी की आराजी में छात्रावास बनाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

कार्य में भी रुकावट पैदा करते है तथा प्रतिवादीगण वादी को ऐलानिया धमकी देते है कि उपरोक्त वर्णित आराजी को बिना बंटवाड़ा करवाये इसमें छात्रावास नहीं बनाने देगे एवं किसी अजनबी क्रेता को बैचान बक्सीस कर देगें और फण्ट की जगह पर अपना कब्जा जमा लेगें। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है तो वादी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है। इसलिए वादी का यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का जब तक कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इंच पर अपना अधिकार है और इन्ही मंसुबो से प्रतिवादीगण अपनी आराजी को अजनबी केता को बैचान करने पर उतारू है एवं वादी को समाज के लिए छात्रावास बनाने में बाधा व अड़चन पैदा कर रहे है। यदि प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवाये उक्त आराजी का किसी अन्य व्यक्ति को बैचान कर देते है या बादी को उसके हिस्से की आराजी में छात्रावास बनाने में रुकावट पैदा करते है। मौके पर कब्जे को लेकर विवाद करेगा। जिससे मौके पर लड़ाई झगडे होगे, मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी एवं अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। जिससे वादी अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 10.12.2019 को वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर समाज के लिए छात्रावास बनाने के लिए प्रतिवादीगण को बताया एवं उक्त आराजी का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा करने का कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एवं वादी को धमकी दी कि वो उसे मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा जमा लेगे एवं उक्त आराजी पर किसी प्रकार से छात्रावास नहीं बनाने देगें तथा भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बैचान कर उसे कब्जा सुपूर्द कर देगें यदि प्रतिवादीगण बिना कानूनन बंटवाडा करवाये किसी अन्य को बैचान कर देते हैं, या वादी को छात्रावास बनाने में बाधा व अडपन पैदा करते है एवं अपने नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है एवं बिना किसी हक व अधिकार के मौके पर अजनबी व्यक्ति को कब्जा सौंपते है तो वादी अपने साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगा। जिससे वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्याकंन रुपयो मे भी नहीं आंका जा सकेगा। प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्तियों के साथ मिलकर धनबल के आधार पर आये दिन वादी की आराजी मे दखल व दस्तन्दाजी कर रहे है एवं उन्हे बेदखल करने की पुरी कोशिश कर रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाते है [illegible] अधिकारों से हमेशा लिये वंचित हो जायेगा। इसलिए वादी के [illegible] कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद बंटवाड़ा व [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 21 तहसीलदार [illegible] होने से बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार है। [illegible] गया है। जबकि उनके विरुद्ध वादी ने कोई अनुतोष नही चाहा है। बिनाय वाद दिनांक 10.12.2019 को वादी द्वारा अपने हिस्से की आराजी पर समाज के लिए छात्रावास बनाने के लिए प्रतिवादीगण से निवेदन करने पर एवं वादपत्र में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर [illegible] (पाली)

आराजी का कानूनन बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार होने व वादी को मौके से बेदखल कर अजनबी क्रेता को बैचान करने व छात्रावास नहीं बनाने के लिए ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम रतनपुरा बिरोल व जैतारण, तहसील– जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4, 10 से 14, 15/1 से 15/2, 16, 19 को बार बार रूक–रूक कर आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहेने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 9, 17 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 17 ने इकबालिया जवाब दावा एवं काउण्टर वादपत्र पेश कर वादपत्र में वर्णित समस्त कथनों का समर्थन किया है तथा निवेदन किया है कि डिक्री व निर्णत बहक काउण्टरकर्ता विरुद्ध अन्य सहहिस्सेदारों के इस आशय की जारी कि जावे कि सरहद मौजा रतनपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 39–02 बीघा में से काउण्टरकर्ता के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से की भूमि का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाकर काउण्टरकर्ता का खाता व लगान अलग अलग किया जावे एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में काउण्टरकर्ता के हक हिस्से की भूमि का अलग से अमल दरामद किया जावें।

वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र PW-01 पेश किया, दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 9, 17 ने आपसी सहमति जाहिर करते हुये कथन किया है कि उभयपक्षकारान का भी माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा किया जाये, सहमति स्वरुप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा रतनपुरा, पटवार हल्का जैतारण, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण जिला– पाली राजस्थान सम्वत् 2074–2077 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 68 रकबा 39 –02 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 9, 17 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की [illegible] सरहद मौजा रतनपुरा, पटवार हल्का जैतारण, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible]रण [illegible]सील जैतारण जिला– पाली राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व [illegible] काश्त की जमीन खसरा नम्बर 68 रकबा 39 –02 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड[illegible]उण्डस के बंट्वाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंट्वाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/1016

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

दिनांक 22/09/2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/7141 दिनांक 18/11/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का याद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा रतनपुरा, पटवार हल्का जैतारण, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण जिला–पाली राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 68 रकबा 39 –02 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म
1	श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण मण्डल ए सहखातेदार	68/6	0.0324	बा. दो.
2	तेजाराम पुत्र बाबूराम कौम जाट सा. झुण्झडा खातेदार	68/4	0.2254	बा.दो.
		68/7	0.3237	बा.दो.
3.	जोगापुरी पुत्र भंवरपुरी हि. 1/20, पप्पुपुरी पुत्र भंवरपुरी हि. 1/20, गणपतपुरी पुत्र भंवरपुरी हि. 1/20, पंचमपुरी पुत्र भंवरपुरी हि. 1/20, मुन्नी पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, सुरमा पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, लीला पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, गुडीया पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, अन्नु पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, सुरमा पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, भीकापुरी पुत्र शंकरपुरी हि. 1/2, कौम गोसाई सा. जैतारण खातेदार	68/3	0.8418	बा.दो.
		68/5	0.8418	बा.दो.
4.	उगमपुरी पुत्र पुखापुरी हि. 4182/40642, कैलाशपुरी पुत्र पुखापुरी हि. 4262/40642, टीमापुरी पुत्र सोनपुरी हि. 5637/40642,	68	4.0642	बा. दो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

	मदनपुरी पुत्र पुखापुरी हि. 4182/40642, राजेन्द्रपुरी पुत्र टीमापुरी हि. 5545/40642 कौम गुसाई, भंवरलाल पुत्र मगलाराम हि. 8417/40642, कौम- कुम्हार, प्रवीण सोलंकी पुत्र भागीरथ हि. 8417/40642, कौम माली सा. जैतारण खातेदा			

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 27/02/2023 को सर-इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण

बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :–

1.श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण मण्डल ए जरिये अध्यक्ष नेमापुरी पुत्र शंकरपुरी गोस्वामी निवासी बिरोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. जोगापुरी पुत्र नेमापुरी फौत के का0मु0 मुकाम
   - 1/1. अशोकपुरी पुत्र जोगापुरी
   - 1/2. कानापुरी पुत्र जोगापुरी
   - 1/3. सरोज पुत्री जोगापुरी
   - 1/4. छोटीदेवी पुत्री जोगापुरी
2. पप्पुपुरी पुत्र भंवरपुरी
3. गणपतपुरी पुत्र भंवरपुरी
4. पंचमपुरी पुत्र भंवरपुरी
5. मुन्नी पुत्री भंवरपुरी
6. सुरमा पुत्री भंवरपुरी
7. लीला पुत्री भंवरपुरी
8. गुड्डीया पुत्री भंवरपुरी
9. अन्नू पुत्री भंवरपुरी
10. भीकापुरी पुत्र शंकरपुरी
11. कैलाशपुरी पुत्र पुखापुरी
12. मदनपुरी पुत्र पुखापुरी
13. उगमपुरी पुत्र पुखापुरी
14. चांदुपुरी पुत्र सोनपुरी
15. टीमापुरी पुत्र सोनुपुरी फौत के का0मु0
    - 15/1. बाबुपुरी पुत्र टीमापुरी
    - 15/2. सम्पतपुरी पुत्र टीमापुरी
16. राजेन्द पुरी पुत्र टीमापुरी

जातियान गोस्वामी निवासीगण जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0

17. तेजाराम पुत्र बाबुराम जाति– जाट निवासी झुझण्डा तहसील जैतारण जिला पाली राज0
18. दुदाराम पुत्र नाथूरा[illegible] निवासी लौ[illegible] जैतारण जि[illegible] पाली राज0।
19. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार निवासी जैतारण तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।
20. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 238/2019
निर्णय/ डिक्री दिनांक :- 27.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री देवाराम कटारिया, श्री किशोर कुमावत, श्री समीर खान, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा रतनपुरा, पटवार हल्का जैतारण, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण जिला- पाली राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 68 रकबा 39 -02 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म
1	श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण मण्डल ए सहखातेदार	68/6	0.0324	बा.दो.
2	तेजाराम पुत्र बाबूराम कौम जाट सा. झुण्झडा खातेदार	68/4	0.2254	बा.दो.
		68/7	0.3237	बा.दो.
3.	जोगापुरी पुत्र भंवरपुरी हि. 1/20, पप्पुपुरी पुत्र भंवरपुरी हि. 1/20, गणपतपुरी पुत्र भंवरपुरी हि. 1/20, पंचमपुरी पुत्र भंवरपुरी हि. 1/20, मुन्नी पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, सुरमा पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, लीला पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, गुडीया पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, अन्नु पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, सुरमा पुत्री भंवरपुरी हि. 1/20, भीकापुरी पुत्र शंकरपुरी हि. 1/2, कौम गोसाई सा. जैतारण खातेदार	68/3	0.8418	बा.दो.
		68/5	0.8418	बा.दो.
4.	उगमपुरी पुत्र पुखापुरी हि. 4182/40642, कैलाशपुरी पुत्र पुखापुरी हि. 4262/40642, टीमापुरी पुत्र सोनपुरी हि. 5637/40642, मदनपुरी पुत्र पुखापुरी हि. 4182/40642, राजेन्द्रपुरी पुत्र टीमापुरी हि. 5545/40642 कौम गुसाई, भंवरलाल पुत्र मगलाराम हि. 8417/40642, कौम- कुम्हार, प्रवीण	68	4.0642	बा. दो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

	सोलंकी पुत्र भागीरथ हि. 8417/40642, कौम माली सा. जैतारण खातेदा			

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/02/2023 को जारी किया गया ।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेश
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04-00	स्टाम्प वकालतनामा	09-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	02-00
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	15-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	20-00	मिजानः–	11-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested